

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री सुघर सिंह वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार उनके निजी अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ के पद पर किया जाता है।

श्री सुघर सिंह वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री सुघर सिंह वर्मा का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियमित तैनाती होने तक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट के पदीय दायित्वों का निर्वहन श्री संदीप कुमार तोमर, प्र0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

ह0/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1698 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट/मोरी/पिथौरागढ़।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/पिथौरागढ़।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राम नरेश, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (2)(क) में प्रदत्त व्यवस्थानुसार गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण के आधार पर सहायक निदेशक, तकनीकी सम्प्रेक्षण के पद पर कृषि निदेशालय, देहरादून में किया जाता है।

श्री राम नरेश, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री राम नरेश का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।


हो—
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 1697 / स्था0-2 / श्रेणी-2 / स्थाना0पत्रा0 / 2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय, देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती अभिलाषा भट्ट, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (2)(क) में प्रदत्त व्यवस्थानुसार गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर (देहरादून) के पद पर किया जाता है।

श्रीमती अभिलाषा भट्ट, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती अभिलाषा भट्ट का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

६०/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/1696 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर/सहसपुर।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री आशाराम वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार राजकीय हित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (देहरादून) के पद पर किया जाता है।

श्री आशाराम वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आशाराम वर्मा का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

६०/-

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1695 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/ 2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर/रायपुर।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री अश्वनी गौतम, केन्द्र प्रभारी, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार जनहित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली के पद पर किया जाता है।

श्री अश्वनी गौतम, केन्द्र प्रभारी, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री अश्वनी गौतम का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। श्री दीपक पुरोहित, सहायक निदेशक सामान्य कार्यालय-अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी अपने पद के साथ-साथ केन्द्र प्रभारी, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी के पदीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

ह/०/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1694 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. केन्द्र प्रभारी, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली (गोपेश्वर)।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राजेन्द्र उप्रेती, सहायक निदेशक (सामान्य), कार्यालय-संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार उनके निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर के पद पर किया जाता है।

श्री राजेन्द्र उप्रेती, सहायक निदेशक (सामान्य), संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री राजेन्द्र उप्रेती का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

हो-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/1693 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री धीरज सिंह, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार जनहित में सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर के पद पर किया जाता है।

श्री धीरज सिंह, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री धीरज सिंह का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह/०-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1692 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राम कुमार दोहरे, कृषि रक्षा अधिकारी, हरिद्वार का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार जनहित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की के पद पर किया जाता है।

श्री राम कुमार दोहरे, कृषि रक्षा अधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री राम कुमार दोहरे का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। कृषि रक्षा अधिकारी, हरिद्वार के पदीय दायित्वों का निर्वहन मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।


ह०/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 1691 / स्था0-2 / श्रेणी-2 / स्थाना0पत्रा0 / 2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर मो0 ताहिर, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (2)(क) में प्रदत्त व्यवस्थानुसार गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण के आधार पर सहायक निदेशक, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, स्थित कृषि निदेशालय परिसर के पद पर किया जाता है।

मो0 ताहिर, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। मो0 ताहिर का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

हू/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1690 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. सहायक निदेशक, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, स्थित कृषि निदेशालय परिसर, देहरादून।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय, देहरादून।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती पूजा पुनेड़ा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (2)(क) में प्रदत्त व्यवस्थानुसार गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी के पद पर किया जाता है।

श्रीमती पूजा पुनेड़ा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती पूजा पुनेड़ा का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।


ह०/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1689 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती रीतू टम्टा, प्रभारी मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (2)(क) में प्रदत्त व्यवस्थानुसार गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण के आधार पर कृषि रक्षा अधिकारी, नैनीताल के पद पर किया जाता है।

श्रीमती रीतू टम्टा, प्रभारी मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती रीतू टम्टा का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह०/—
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 1688 / स्था0-2 / श्रेणी-2 / स्थाना0पत्रा0 / 2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
3. कृषि रक्षा अधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री भगवान दास वर्मा, सहायक निदेशक (निवेश), कृषि निदेशालय का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार के पद पर किया जाता है।

श्री भगवान दास वर्मा, सहायक निदेशक (निवेश), कृषि निदेशालय को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री भगवान दास वर्मा का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

हो-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 1687 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय, देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री सुरेन्द्र कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर के पद पर किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री सुरेन्द्र कुमार का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

80/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 1686 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर/नरेन्द्रनगर।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर/टिहरी गढ़वाल।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।

28/6
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती विधि उपाध्याय, कृषि रक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूद्रपुर के पद पर किया जाता है। श्रीमती उपाध्याय द्वारा कृषि रक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर के पदीय दायित्वों का निर्वहन अपने कार्य के साथ-साथ किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

श्रीमती विधि उपाध्याय, कृषि रक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती विधि उपाध्याय का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


हं/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/1685 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूद्रपुर।
3. कृषि रक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री कल्याण सिंह, सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर, के पद पर किया जाता है।

श्री कल्याण सिंह, सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री कल्याण सिंह का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


ह/—
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/1684 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर।
3. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती गीतांजली बंगारी, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर, देहरादून का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार अनुरोध के आधार पर सहायक निदेशक, सांख्यिकी के पद पर संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी के अधीन किया जाता है।

श्रीमती गीतांजली बंगारी, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती बंगारी का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 1683 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0 /2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (देहरादून)।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी/अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री प्रेम प्रकाश टम्टा, सहायक निदेशक, तकनीकी सम्प्रेक्षण, कृषि निदेशालय का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार अनुरोध के आधार पर सहायक निदेशक, सामान्य के पद पर संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी के अधीन किया जाता है।

श्री प्रेम प्रकाश टम्टा, सहायक निदेशक, तकनीकी सम्प्रेक्षण को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री टम्टा का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


ह/—
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 1682 / स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
3. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि निदेशालय।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री शशी कमल, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार अनुरोध के आधार पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा के पद पर किया जाता है।

श्री शशी कमल, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री शशी कमल का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


ह०/-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1681 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर/चम्बा।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/टिहरी गढ़वाल।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी/अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री अमित कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (सुगम से दुर्गम) जनहित में केन्द्र प्रभारी, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र मजखाली (अल्मोड़ा) के पद पर किया जाता है। उक्त के साथ-साथ श्री अमित कुमार सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, अल्मोड़ा का प्रभार भी सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

श्री अमित कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री अमित कुमार का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।


ह०।-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 1680 / स्था0-2 / श्रेणी-2 / स्थाना0पत्रा0 / 2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर।
3. केन्द्र प्रभारी, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, मजखाली (अल्मोड़ा)।
4. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
6. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
8. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018 एवं कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-20.06.2024 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्रीमती संतोषी, कृषि रक्षा अधिकारी, नैनीताल का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की व्यवस्थानुसार (सुगम से दुर्गम) जनहित में कृषि रक्षा अधिकारी, चम्पावत के पद पर किया जाता है।

श्रीमती संतोषी, कृषि रक्षा अधिकारी, नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्रीमती संतोषी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, अतः उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।

ह01-
(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0 / 1678 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0 /2024-25 दिनांक : 29/06/2024

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारीगण।
2. कृषि रक्षा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।